

झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग
भूतल, एफ.एफ.पी. भवन, धुर्वा, राँची

॥ प्रेस विज्ञप्ति ॥

झारखण्ड सरकार द्वारा सार्वजनिक वाहनों के परिचालन हेतु आदेश संख्या-3170, दिनांक-22.10.2020 के अनुसार अन्तर्राज्यीय बस सेवाओं को 08.11.2020 से चलाने की अनुमति प्रदान की गई है। इस क्रम में "सार्वजनिक वाहनों के परिचालन हेतु" सभी वाहन मालिक/ऑपरेटर को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित शर्तों के साथ सार्वजनिक वाहन चलाने की अनुमति होगी :-

नोबेल कोरोना वायरस (COVID-19) अभी खत्म नहीं हुआ है इसलिए "जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं" के तहत हमें कोरोना वायरस से संबंधित सभी दिशा-निर्देशों का सख्ती से अनुपालन कराना आवश्यक है।

समस्त सुतार्किक वैज्ञानिक अध्ययनों एवं निष्कर्षों से स्पष्ट है कि उक्त महामारी के संक्रमण से बचाव के मुख्य उपाय स्वस्था (सदैव मास्क का उपयोग, नियमित अंतराल पर हाथ को साबुन से धोना, सैनिटाइजर का उपयोग, फेस शील्ड का उपयोग), भीड़-भाड़ वाले स्थानों में दो गज की दूरी बनाकर रखना) तथा निज साफ-सफाई एवं स्वच्छता पर ध्यान देना है। तदालोक में सार्वजनिक परिवहन के उपयोगार्थ/व्यवहारार्थ उक्त सभी बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देना अत्यावश्यक है। COVID-19 के संक्रमण पर प्रभावकारी नियंत्रण तथा रोकथाम हेतु Contact Tracing भी महत्वपूर्ण अवयव है। इसलिए सार्वजनिक परिवहन का प्रारंभ तथा उपयोग में सभी वाहनमालिकों, चालकों, सहायकों तथा यात्रियों के लिए यह महत्वपूर्ण होगा कि उपरोक्त विवेच्य बिन्दुओं पर विशेष ध्यान रखते हुए इन पर गंभीरतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित की जाय, ताकि सम्बद्ध संक्रमण पर प्रभावकारी नियंत्रण तथा जरूरत पड़ने पर उनकी पहचान करते हुए उनपर कारगर कदम उठाया जा सके।

इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा "झारखण्ड चालक एवं परिवहन सुरक्षा अभियान" भी चलाया जा रहा है, जिसके तहत जागरूकता विडियो एवं पुस्तिका जारी किए गए हैं तथा चालक सुरक्षा किट वितरित किए गए हैं। इन कार्यक्रमों/सूचनाओं को परिवहन विभाग के website- www.jhtransport.gov.in में भी लगातार देखा जा सकता है।

इसके लिए झारखण्ड राज्य में सार्वजनिक परिवहन तथा लोगों के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं :-

(I) सामान्य निर्देश :-

1. चालक/सहायक/यात्रियों को मास्क/फेस कवर लगाना अनिवार्य होगा।
2. वाहनों में स्प्रे सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा एवं सीटों को हर यात्रा प्रारंभ करने के पूर्व सैनिटाइज करना होगा।
3. यात्रा के दौरान चालक/यात्रियों द्वारा धुमपान/पान/गुटका/खैनी खाना प्रतिबंधित रहेगा।



4. यात्रा के दौरान सार्वजनिक स्थानों/बस स्टैण्ड/टैक्सी स्टैण्ड में यत्र-तत्र थूकना वर्जित होगा। पकड़े जाने पर दण्ड के भागी होंगे एवं कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
5. Containment Zone में स्थानीय जिला प्रशासन के निर्देशों के अनुरूप कार्य करना होगा। इन क्षेत्रों में वाहनों को रोकना, खाना-पीना एवं अन्य क्रियाओं के साथ घूमना-फिरना प्रतिबंधित रहेगा।
6. किसी भी वाहन स्वामी द्वारा किसी भी प्रकार के वाहन भाड़ा/किराया में बढ़ोतरी नहीं की जायेगी। वाहनों में निर्गत परमिट एवं अनुमान्य यात्रियों की संख्या के अनुसार यात्रियों का परिवहन किया जायेगा।
7. यात्री एवं चालकों से अनुरोध है कि स्मार्ट फोन रहने पर वे आरोग्य सेतु एप Install करें एवं उन्हें On रखें।
8. ये शर्तें विश्वव्यापी कोरोना संकट से निबटने एवं कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए है। इनका अनुपालन नहीं करने से Disaster Management Act एवं MV Act के तहत कार्यवाही की जाएगी।
9. पैंसठ (65) वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, अन्य रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और दस (10) वर्ष से कम आयु के बच्चों को, आवश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य प्रयोजनों को छोड़कर, घर पर रहने की सलाह दी जाती है।
10. यात्रा करने वाले सभी लोगों से अपील की जाती है कि घर पहुँचने पर अपने कपड़े बदल कर उन्हें साफ करे तथा स्नान अवश्य करें तथा कुछ दिनों तक घर के अन्य सदस्यों से Social Distancing बनाकर रखें।
11. यात्रा के दौरान अपने हाथों से अनावश्यक मुँह, आँख, नाक आदि न छुएँ।
12. यात्रा के दौरान पानी की उपलब्धता होने पर खाने/पीने के पूर्व अपने हाथ साबुन से धोएँ एवं पानी की उपलब्धता नहीं होने पर सैनिटाइजर से हाथों को सैनिटाइज करें।

(III) सार्वजनिक बस के लिए निर्देश :-

1. बसों का परिवहन विभाग द्वारा विधिवत् निबंधित एवं निश्चित रूट पर सक्षम प्राधिकार द्वारा परमिट प्राप्त होना चाहिए। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत परमिट ही बसों के लिए आवागमन पास माना जायेगा।
2. बसें अपने परमिट प्राप्त रूटों पर चलायी जायेगी तथा परमिट में आवंटित ठहराव स्थल पर ही रुकेगी। इनका अनुपालन नहीं करने से Disaster Management Act एवं MV Act के तहत कार्यवाही की जाएगी।
3. बसों में प्रवेश तथा निकासी के दरवाजे अलग-अलग रखने होंगे या निकासी एवं प्रवेश करने वाले यात्रियों को अलग-अलग समय पर अनुमति देनी होगी।
4. वाहनों में निर्धारित सीट के अतिरिक्त एक भी यात्री नहीं लिया जाएगा।
5. बस के चालक को यात्रा कर रहे यात्री की सूचना यात्री पंजी में निम्न प्रपत्र में दर्ज करनी होगी एवं उसे सुरक्षित रखना होगा तथा Contact Tracing के लिए प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा।

प्रपत्र

क्र० सं०	दिनांक	यात्री का नाम	पूरा पता	कहाँ से कहाँ यात्रा करना है।	मोबाईल न०

- यात्रा करने वाले यात्री यात्रा करने वाले बसों का निबंधन संख्या एवं यात्रा की तिथि निश्चित रूप से अपने पास संधारित रखेंगे, जिसे Contact Tracing के लिए प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा।
- बस मालिक रूटवार एवं तिथिवार ड्राइवरों/सहायकों का नाम एवं मोबाईल न० सुरक्षित रखेंगे एवं प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर Contact Tracing के लिए उपलब्ध करायेंगे।
- ड्राइवर के केबिन में यात्रियों का प्रवेश नहीं होगा, न ही कोई यात्री उस केबिन में बैठेंगे। बसों में ड्राइवर का केबिन नहीं रहने पर प्लास्टिक/पर्दे से ड्राइवर केबिन तैयार कर उन्हें यात्रियों के सम्पर्क से अलग रखना अनिवार्य।
- वाहन रुकने के स्थान पर लोगों के उतरने, चढ़ने पर सामाजिक दूरी का अनुपालन करना होगा। इसे कंडक्टर सुनिश्चित करेंगे।



(III) टैक्सी के लिए निर्देश :-

- टैक्सी व्यवसायिक वाहन की श्रेणी में निबंधन प्रमाण पत्र ही उनका रूट पास माना जायेगा। निजी वाहनों के व्यावसायिक प्रयोग पर MV Act के तहत कार्यवाही की जाएगी।
- टैक्सी की चालक को यात्रा कर रहे यात्री की सूचना यात्री पंजी में निम्न प्रपत्र में दर्ज करनी होगी एवं उसे सुरक्षित रखना होगा तथा Contact Tracing के लिए प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा।

प्रपत्र

क्र० सं०	दिनांक	यात्री का नाम	पूरा पता	कहाँ से कहाँ यात्रा करना है।	मोबाईल न०

- यात्रा करने वाले यात्री यात्रा करने वाले टैक्सी का निबंधन संख्या, चालक का नाम एवं मोबाईल नं० तथा साथ यात्रा करने वाले अन्य लोगों के नाम एवं मोबाईल नं० निश्चित रूप से अपने पास संधारित रखेंगे, जिसे Contact Tracing के लिए प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा।
- इन शर्तों के साथ राज्य में Cab Aggregators तथा ओला/उबर तथा अन्य भी अपने वाहन चला सकते हैं।

(Handwritten signature)

(IV) ऑटो/टैम्पो/ई-रिक्शा/मैनुअल रिक्शा :-

1. ऑटो रिक्शा/टैम्पो व्यवसायिक वाहन की श्रेणी में निबंधित होना चाहिए एवं सक्षम प्राधिकार से परमिट निर्गत होना चाहिए। परमिट ही उनका रूट पास माना जायेगा।
2. ई-रिक्शा की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत रूट पास उनका पास माना जायेगा एवं परमिट/रूट पास की प्रति ऑटो/ई-रिक्शा सामने वाले शीशे पर चिपकाया जाना अनिवार्य होगा।
3. ऑटो रिक्शा/टैम्पो/ई-रिक्शा की चालक को यात्रा कर रहे यात्री की सूचना यात्री पंजी में निम्न प्रपत्र में दर्ज करनी होगी एवं उसे सुरक्षित रखना होगा तथा Contact Tracing के लिए प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा -

प्रपत्र

क्र० सं०	दिनांक	यात्री का नाम	पूरा पता	कहाँ से कहाँ यात्रा करना है।	मोबाईल न०

4. यात्रा करने वाले यात्री यात्रा करने वाले ऑटो रिक्शा/टैम्पो/ई-रिक्शा का निबंधन संख्या, चालक का नाम एवं मोबाईल नं० तथा साथ यात्रा करने वाले अन्य लोगों के नाम एवं मोबाईल नं० निश्चित रूप से अपने पास संधारित रखेंगे, जिसे Contact Tracing के लिए प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा।

(V) जिला प्रशासन द्वारा किए जाने वाले कार्य :-

1. वाहनों के परिचालन संबंधी उपरोक्त निदेश परमिट की शर्तों के पार्ट माने जाएँगे उल्लंघन की स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम के साथ-साथ आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अधीन संबंधित चालक/वाहन स्वामी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
2. जिला प्रशासन द्वारा वाहन मालिकों को COVID-19 के संक्रमण से बचाव एवं बरती जाने वाली सावधानियों संबंधी पम्पलेट पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका वितरण यात्रियों के बीच किया जाएगा।
3. बस स्टैण्डों/टैक्सी स्टैण्डों पर एनाउन्समेंट की व्यवस्था करेंगे, जिसके माध्यम से COVID-19 के संक्रमण से बचाव सम्बंधी उपायों को प्रसारित कराएँगे। साथ ही, लोगों को भीड़ न लगाने, यत्र-तत्र न थूकने, मास्क पहनने आदि की हिदायत भी दी जाएगी।
4. नगर निकायों द्वारा बस स्टैण्डों पर आवश्यक साफ-सफाई एवं सेनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाएगा।

इस क्रम में राज्य में कोटिवार वाहनों के परिचालन के लिए निर्गत SoP इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

अनुरोध है कि उपरोक्त शर्तों के अनुरूप राज्य में सार्वजनिक वाहनों के परिचालन कराने का कष्ट किया जाय।

(के० रवि कुमार)

सचिव,
परिवहन विभाग।